मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-03/06/2020/तेरह भोपाल, दिनांक 16 NOV 2021

प्रति,

1. प्रबंध संचालक,
   एम.पी.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड,
   जबलपुर।

2. प्रबंध संचालक,
   म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
   जबलपुर/भोपाल/इंदौर।

विषयः कोरोना महामारी के दृष्टिगत 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं की आस्थगित की गई राशि के भुगतान से इन उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से समाधान योजना लागू करने बावत्।

संदर्भः 1. विभाग का आदेश क्रमांक 6021/2020/तेरह, दिनांक 27.8.2020
2. विभाग का पत्र क्रमांक 7727/2020/तेरह दिनांक 9.11.2020

:-:

विभाग के संदर्भित आदेश के द्वारा प्रदेश में कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण निम्न आय घरेलू उपरोक्ताओं को विद्युत देयकों के भुगतान में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत 1 किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं के देयकों की दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की वसूली को आस्थगित किया गया था। आदेश में उक्तानुसार आस्थगित बकाया राशि के बारे में पृथक से निर्देश जारी किये जाने का उल्लेख है।

2/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में 1 किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं के देयकों की दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की आस्थगित राशि के भुगतान में इन उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा "समाधान योजना" लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के प्रावधान निम्नानुसार हैः-

(i) उपभोक्ताओं को समाधान योजना अंतर्गत आस्थगित की गई राशि के भुगतान हेतु निम्नानुसार विकल्प उपलब्ध होंगेः-

(अ) आस्थगित मूल राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।

अथवा

(ब) आस्थगित मूल राशि का 75 प्रतिशत, 6 समान मासिक किश्तों में भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।

(ii) उपरोक्त दोनों विकल्पों के अन्तर्गत माफ की जाने वाली 100 प्रतिशत अधिभार की पूर्ण राशि एवं माफ की गई मूल राशि का 50 प्रतिशत संबंधित वितरण कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा तथा माफ की गई मूल राशि का शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन कर, इसके एवज में वितरण कंपनी को सब्सिडी दी जाएगी।

(iii) उपभोक्ता इस योजना का लाभ दिनांक 15.12.2021 तक, वितरण कंपनी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर, ले सकेंगे।

3/ यह स्पष्ट किया जाता है कि वितरण कंपनियों द्वारा अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण योजनान्तर्गत अंतिम तिथि से 30 दिवस की अवधि में किया जाए। उपभोक्ता द्वारा योजना की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में, वितरण कंपनी द्वारा आस्थगित की गई राशि का समावेश कर आगामी माह के देयक/बिल जारी किए जाए। योजना अंतर्गत राज्य शासन द्वारा देय सब्सिडी के दावे वितरण कंपनियों द्वारा विभाग को प्रस्तुत किये जाए।

4/ निर्देशानुसार, उपरोक्त "समाधान योजना" को कंपनियों में तत्काल प्रभाव से लागू कर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि सभी पात्र उपभोक्ता इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

(नीरज अग्रवाल)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-03/06/2020/तेरह भोपाल, दिनांक 16 NOV 2021

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, बाणगंगा भोपाल।
3. सचिव, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट भोपाल।
4. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी, म.प्र. शासन, भोपाल।

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग